

क्रमांक /

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल
/स्था / नग्रानि / 2014 भोपाल, दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संविदा सेवा (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) भरती नियम 2013 में निहित प्रावधान के अंतर्गत संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित संविदा वेतन पर तथा नीचे अंकित संविदा की शर्तों पर प्रथमतः दो वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	नाम	पदनाम	जाति	वेतन प्रत्येक माह	पदस्थापना स्थान
1.	श्री अवधशरण कोल	चैनमेन	अनुसूचित जनजाति	रु.60000/-	मुख्यालय-भोपाल

संविदा सेवा की शर्तें :-

1. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा की कालावधि दो वर्ष होगी। संविदा सेवा के दो वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात संविदा सेवा की कालावधि में वृद्धि का निर्णय, नियंत्रणकर्ता अधिकारी की सिफारिश और रिपोर्ट पर संचालक द्वारा किया जायेगा।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध लागू होंगे। इन नियमों की अवहेलना होने अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जायेगी।
3. संविदा सेवा पर नियुक्त सेवा के सदस्यों को, संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा, नियम 9 के अधीन संचालक द्वारा नियत की गई दरों पर मासिक आधार पर संविदा वेतन का भुगतान किया जायेगा, परन्तु उन दिनों के लिये संविदा वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा, जिनको कि सदस्य, कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा हो।
4. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल बाद नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रूपये (पचास रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करेंगे। अनुबंध के निष्पादन पर उपगत होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। करारनामे की छायाप्रति संलग्न है।

5. किसी व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
6. संविदा कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न होने के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त कर देंगे।
7. संविदा के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय पदधारी को शासकीय जिला चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा उपर्युक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति उसकी संविदा सेवा की कालावधि के लिये पेंशन प्रसुविधाओं (लाभों) का हकदार नहीं होगा।
9. संविदा का पदधारी शासकीय सेवा में नियमितकरण का हकदार नहीं होगा, किन्तु वह प्रचलित भरती नियमों के अंतर्गत सीधी भरती के पदों पर आवेदन कर सकेगा।
10. संविदा नियुक्ति, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के संविदा वेतन का भुगतान किया जाकर समाप्त की जा सकेगी।
11. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किये गये व्यक्ति गृह भाड़ा भत्ता या किसी अन्य भत्तों के हकदार नहीं होंगे।
12. एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे।
13. महिला संविदा पदधारियों को, जिनकी दो या दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम 90 दिन के प्रसुति अवकाश की पात्रता होगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख को उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
14. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के समान पदों के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
15. चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ.कमांक / 5067 / स्था / नग्रानि / 2014

भोपाल, दिनांक 10/11/14.

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ। श्री अवधशरण कोल की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद के विरुद्ध की गई है, उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
2. जिलाध्यक्ष, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ। श्री अवधशरण कोल की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद के विरुद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
3. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. लेखाकक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को सूचनार्थ।
5. श्री अवधशरण कोल ग्राम पोस्ट करी तहसील रामनगर, थाना रामनगर, विकास खंड रामनगर, जिला सतना (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. व्यक्तिगत नस्ति।
7. रोस्टर लिपिक
8. गार्ड फाईल।

आयुक्त सचिव संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल